न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 91/14 (225)
आरसीएमएस संख्या – 2014/00262
उनवान :–

1. बाबू पुत्र श्री किशन
2. जोगेश पुत्र बाबू
3. भूरा उर्फ रामकपूर पुत्र बाबू

} जाति जाट निवासी ग्राम रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

रूप सिंह पुत्र श्री कल्यान सिंह जाति जाट निवासी ग्राम रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई दिनांक 16.07.2014 प्रकरण संख्या 41/14 उनवान रूप सिंह बनाम बाबू वगै0।

उपस्थित :–

1. श्री गोविन्द सिंह डागुर एडवोकेट अपीलाण्ट।
2. श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट रैस्पो0।

निर्णय **दिनांक :–06.04.2021**

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश दिनांक 16.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/प्रार्थी द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थी प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुये विवादित आराजी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से पूर्व में जारी शुदा स्थगन को ताफैसला दावा कन्फर्म कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा रैस्पो0 द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है ना कि विभाजन का। जबकि विवादित आराजी खसरा नम्बर 884/0.37 वाके ग्राम रायसीस तहसील नदबई के राजस्व रिकार्ड में

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

29/37 हिस्सा का रैस्पो0 एवं 8/37 हिस्सा के श्रीमति पालादेवी रिकार्डेड खातेदार दर्ज है। सहखातेदार होने पर बिना विभाजन किये दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट चलने योग्य नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 884 का रैस्पो0 अकेला न्यारान्यूर खातेदार काश्तकार था और रैस्पो0 द्वारा विवादित आराजी को दिनांक 21.04.2003 को जरिये इकरारनामा विक्री पत्र अपीलाण्ट संख्या 01 को विक्रय कर दिया, वरोज इकरारनामा विक्रीशुदा जगह पर अपीलाण्ट संख्या 01 को कब्जा दे दिया व तभी से अपीलाण्ट संख्या 01 खरीदशुदा भूमि पर काबिज है तो ऐसी स्थिति में रैस्पो0 के हक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 स्वीकार नहीं करना चाहिये था। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश नोन स्पीकिंग आदेश है उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ पर कोई विवेचना नहीं की है। अतः अपीलाधीन आदेश न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1998 पेज 535, 30, 1993 पेज 16, आरआरटी 2010(2) पेज 1421, आरबीजे 1997 पेज 149 डीबी, 1997 पेज 55, डीएनजे 2010(2) पेज 446(एस0सी0) का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात् अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नही रह जाती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2067–70 में विवादित आराजी पर रूप सिंह पुत्र कल्याण हि0 29/37 पालादेवी पत्नि बनै सिंह हि0 8/37 कौम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। अपीलांट कथित इकरारनामा के आधार पर विवादित आराजी में अपना स्वत्व व कब्जा काश्त बताते हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त साबित होता हो। इसके अतिरिक्त विवादित आराजी में वादी/रैस्पो0 के नाम होने के उपरांत भी अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा कोई भी दावा सक्षम न्यायालय में उक्त कथित इकरारनामा के आधार पर विनिर्दिष्ट अनुतोष पाने हेतु दायर नहीं किया। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा की छायाप्रति की पंक्ति संख्या 23 लगायत 26 मे स्पष्ट उल्लेखित है कि उक्त आराजीयात का नामान्तकरण जरिए वसीयत मुझे वाया रूप सिंह के नाम नहीं हो पाया है। जैसे ही मेरे नाम इन्तकाल हो जावेगा तुरन्त बाद मैं क्रेता को उक्त नाप का वयनामा करा दूँगा। यदि इसमें मैं कोई चूक या लापरवाही करूंगा तो क्रेता जरिए अदालत खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी होगा। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजीयात बाबत् मुताबिक रिकार्ड किसका हक है ? यह तथ्य विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में तय होगा। फिलहाल मुताबिक जमाबन्दी संवत 2067–70 विवादित आराजीयात में रैस्पो0/वादी 29/37 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। लिहाजा प्रथम दृष्टया

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0/वादी के पक्ष में साबित होती है। वैसे भी दौरान वाद, वाद जटिलता, बहुलता से बचने एवं विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द होने से रोकने के लिए स्थगन निरापद है। लिहाजा हम अपीलाधीन आदेश को किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। अतः अपील अपील खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई का आदेश दिनांक 16.07.2014 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.04.21

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर